न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सुजानगढ़ (चूरू)

पीठासीन अधिकारी–श्री ओमप्रकाश वर्मा, आर.ए.एस.
राजस्व वाद संख्या–33/2025
निर्णय दिनांक – 25.06.2025
GCMS No.- 2025/154

1. लुणाराम पुत्र पोकरराम निवासी सुजानगढ़–सीकर बाई पास रोड, आर.एन.स्कूल के पास, नायकों का मोहल्ला वार्ड संख्या 02, ग्राम सालासर तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू (राज.)
2. पुरड़ाराम पुत्र पोकरराम निवासी सुजानगढ़–सीकर बाई पास रोड, आर.एन.स्कूल के पास, नायकों का मोहल्ला वार्ड संख्या 02, ग्राम सालासर तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू (राज.)

.................वादीगण

बनाम

1. नीतू पुत्री स्व. रेवन्ती जाति नायक, निवासी सुजानगढ़–सीकर बाई पास रोड, आर.एन.स्कूल के पास, नायकों का मोहल्ला वार्ड संख्या 02, ग्राम सालासर तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू (राज.)
2. राजेन्द्र कुमार पुत्र स्व. रेवन्ती जाति नायक, निवासी सुजानगढ़–सीकर बाई पास रोड, आर.एन.स्कूल के पास, नायकों का मोहल्ला वार्ड संख्या 02, ग्राम सालासर तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू (राज.)
3. लीलाधर पुत्र स्व. रेवन्ती जाति नायक, निवासी सुजानगढ़–सीकर बाई पास रोड, आर.एन.स्कूल के पास, नायकों का मोहल्ला वार्ड संख्या 02, ग्राम सालासर तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू(राज.)
4. सरिता पुत्री स्व. रेवन्ती जाति नायक, निवासी सुजानगढ़–सीकर बाई पास रोड, आर.एन.स्कूल के पास, नायकों का मोहल्ला वार्ड संख्या 02, ग्राम सालासर तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू (राज.)
5. विमला देवी पुत्री स्व. पोकरराम जाति नायक, निवासी सुजानगढ़–सीकर बाई पास रोड, आर.एन.स्कूल के पास, नायकों का मोहल्ला वार्ड संख्या 02, ग्राम सालासर तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू (राज.)
6. संतरा पुत्री स्व. पोकरराम जाति नायक, निवासी सुजानगढ़–सीकर बाई पास रोड, आर.एन.स्कूल के पास, नायकों का मोहल्ला वार्ड संख्या 02, ग्राम सालासर तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू(राज.)
7. सम्पत पुत्री स्व. पोकरराम जाति नायक, निवासी सुजानगढ़–सीकर बाई पास रोड, आर.एन.स्कूल के पास, नायकों का मोहल्ला वार्ड संख्या 02, ग्राम सालासर तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू(राज.)
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सुजानगढ़ जिला चूरू राजस्थान

.......प्रतिवादीगण

दावा कृषि भूमि विभाजनहेतु

उपस्थितः–
1. श्री बनवारी लाल जाट एडवोकेट वादी।
2. श्री शंकरलाल जाखड़ एडवोकेट प्रतिवादीगण संख्या 01, 02, 03, 05, 07
3. प्रतिवादीगण संख्या 04, 06 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही।
4. प्रतिवादी संख्या 08 राज पैरोकार उपस्थित।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सुजानगढ़, जिला-चूरू

–: निर्णय :–

प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से हैं की वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 07 के संयुक्त खातेदारी कब्जा, काश्त, उपयोग, उपभोग की कृषि भूमि रोही ग्राम सालासर तहसील सुजानगढ़ के वर्तमान खसरा संख्या 2983/2978 तादादी 0.6838 हैक्टेयर है। जिसे वाद में वादगत भूमि के नाम से सम्बोधित किया गया है।

यह कि वादीगण संख्या 01 का वादगत सम्पति कृषि भूमि में 1231/7387 हिस्सा यानि 1139.5 वर्गमीटर व वादीगण संख्या 02 का वादगत कृषि भूमि में 1231/7387 यानि 1139.5 वर्गमीटर हिस्सा, पांति की खातेदारी दर्ज व काबिज है। वादगत कृषि भूमि में प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 04 का हिस्सा 308/7387 व प्रतिवादीगण संख्या 05 ता 07 प्रत्येक का 1231/7387 हिस्सा यानि 1139.5 वर्गमीटर प्रत्येक हिस्सा, की खातेदारी दर्ज व काबिज है तथा उक्त भूमि वादीगण के स्वामित्व मालिकाना अधिकार में चली आ रही है। दावा जिसके विभाजन हेतु वादीगण ने यह वाद न्यायालय में प्रस्तुत किया है। जो न्यायालय द्वारा विचारण किया जाकर प्रारम्भिक रूप से डिक्री किया जाकर तहसीलदार सुजानगढ़ को वादी के हिस्सा, कब्जा व मौकानुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार कर न्यायालय में प्रस्तुत करने बाबत आदेशित किया था जिस पर तहसीलदार सुजानगढ़ ने विभाजन प्रस्तुत तैयार कर न्यायालय में प्रस्तुत किये हैं।

उप खण्ड अधिकारी
सुजानगढ़

बहस बहुपक्षीय विद्वान अधिवक्ता सुनी गई। दौराने बहस प्रतिवादी अधिवक्ता ने प्राप्त विभाजन प्रस्ताव पर कोई आपति नहीं होना स्वीकार किया। वादीगण अधिवक्ता द्वारा मुताबिक विभाजन प्रस्ताव वाद वादी अन्तिम रूप से डिकी किये जाने बाबत निवेदन किया। पत्रावली तथा पत्रावली पर उपलब्ध वर्तमान जमाबन्दी तथा विभाजन प्रस्ताव का अवलोकन किया गया। बहस पर मनन किया गया। वादगत भूमि रोही ग्राम सालासर तहसील सुजानगढ़ के वर्तमान खसरा संख्या 2983/2978 तादादी 0.6838 हैक्टेयर में उतने ही हिस्सा पांति के रिकॉर्डेड खातेदार दर्ज स्थित है। मुताबिक विभाजन प्रस्ताव वादीगण संख्या 01 का हिस्सा 0.1567 हैक्टेयर व वादीगण संख्या 02 का हिस्सा 0.1567 हैक्टेयर तथा प्रतिवादी संख्या 04 सरिता देवी का हिस्सा 0.0285 हैक्टेयर, प्रतिवादी संख्या 05 विमला का हिस्सा 0.1139 हैक्टेयर, प्रतिवादी संख्या 06 संतरा का हिस्सा 0.1140 हैक्टेयर एवं प्रतिवादी संख्या 07 राम्पत देवी का हिस्सा 0.1140 हैक्टेयर हिस्सा पांति पर काबिज काश्तकार है।

एक रिकॉर्डेड खातेदार कृषक अपने हिस्से की भूमि का विभाजन करवा सकता है अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर न्यायालय मुताबिक विभाजन प्रस्ताव वाद वादीगण विभाजन की हद तक अन्तिम रूप से डिक्री किया जाना उचित समझता है।

आदेश

दावा वादीगण अन्तिम रूप से डिक्री किया जाकर प्रतिवादी संख्या 08 तहसीलदार सुजानगढ़ को आदेशित किया जाता है कि वादगत भूमि रोही ग्राम सालासर तहसील सुजानगढ़ के वर्तमान खसरा संख्या 2983/2978 तादादी 0.6838 हैक्टेयर हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड में मुताबिक विभाजन प्रस्ताव पृथक् से अंकन कर लगान कायम कर एक्स में तरमीम करें। विभाजन प्रस्ताव तथा नक्शा आदेश का ही भाग रहेगा। खर्चा मुकदमा पक्षकारान् अपना-अपना स्वयं वहन करें। तद्नुसार परचा डिक्री जारी हो। निर्णय की प्रति तहसीलदार सुजानगढ़ को पालनार्थ प्रेषित हो।

निर्णय आज दिनांक 25.06.2025 को सर इजलास सुनाया जाकर हस्ताक्षरित एवं मुद्राकिंत किया गया।

ओमप्रकाश वर्मा
उपखण्ड अधिकारी
सुजानगढ़ (चूरू)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सुजानगढ़, जिला-चूरू

डिकरी ब मुकदमेंइब्तदाई

(ऑर्डर 20, रुल 6–7 जब्ता दावानी)
(Civil Procedure code, Appendix 'D'-1)

अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम सुजानगढ़
इजलास श्री ओमप्रकाश वर्मा, आर.ए.एस

लूणाराम बनाम नीतू आदि
राजस्व वाद संयुक्त खातेदारी विभाजन

मुकदमा न0 33 सन 2025

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रु–ब–रु .... हाजरी श्री बनवारी लाल जाट एड. मिनजानिब मुद्दई व पैरोकार राज मिनजानिबमुदापलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिकरी दी जाती है कि दावा वादीगण अन्तिम रूप से डिक्री किया जाकर प्रतिवादी संख्या 08 तहसीलदार सुजानगढ़ को आदेशित किया जाता है कि वादगत भूमि रोही ग्राम सालासर तहसील सुजानगढ़ के वर्तमान खसरा संख्या 2983/2978 तादादी 0.6838 हैक्टेयर हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड में मुताबिक विभाजन प्रस्ताव पृथक् से अंकन कर लगान कायम कर एक्स में तरमीम करें। विभाजन प्रस्ताव तथा नक्शा आदेश का ही भाग रहेगा। खर्चा मुकदमा पक्षकारान् अपना–अपना स्वयं वहन करें। तद्नुसार परचा डिक्री जारी हो। निर्णय की प्रति तहसीलदार सुजानगढ़ को पालनार्थ प्रेषित हो।

चीज.. मुबलिग .... बाबत ....

खर्चा इस मुकदमे के मय सुद व शरह ....
फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख व सूलमावी तक ....
.... को अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 25 माह 06.2025

दस्तखत ....
उपखण्ड अधिकारी
सुजानगढ़

मुहर

मुद्दई	रुपया	पे.	मुद्दायलाई	रुपया	पे.
स्टाम्प अर्जीदावा स्टाम्पवकालतनामा स्टाम्पवजहसबूत महनताना वकील खर्चागवाहान फीसकमिश्नर बाबतइजराय हुक्मनामा मुतफरिक			स्टाम्पवकालतनामा स्टाम्पअर्जी महनतानावकीलपर खर्चागवाहान फीसकमिश्नर बाबतइजराय हुक्मनामा मुतफरिक		
मीजान			मीजान		

नोट : खर्च के फार्मपरकुल खर्चाहरदोफरीकेनका, चाहेडिकरी के जरियेदिलायागयाहो या नही दर्जकरनाचाहिये ।